

“FORM NO. C.A.- 3

[See rule 6(1)]

**Form of Appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 129A
of Customs Act, 1962.**

In the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal.

Appeal No..... of 20

..... Appellant.

Vs.

..... Respondent.

1. Port/ Location Code*

IEC**

PAN or UID***

Port/ Location Code 2*

Port/ Location Code 3*, etc

E-Mail Address

Phone No.

Fax No.

2. The designation and address of the authority passing the order appealed against.

3. Number and date of the order appealed against.

			-					-				-				-				-				-			
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Dated

			-				-							
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Date of communication of a copy of the order appealed against.

5. State or Union territory and the Commissionerate in which the order or decision of assessment, penalty, fine was made.

6. If the order appealed against relates to more than one Commissionerate, mention the names of all the Commissionerates, so far as it relates to the appellant.
7. Designation and address of the adjudicating authority in case where the order appealed against is an order of the Commissioner (Appeals).
8. Address to which notices may be sent to the appellant.
9. Address to which notices may be sent to the respondent.
10. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty of customs or to the value of goods for the purpose of assessment.
11. Description and classification of goods.
12. Period of dispute.
13.
 - (i) Amount of customs duty, if any, demanded for the period of dispute .
 - (ii) Amount of interest involved up to the date of the order appealed against.
 - (ii) Amount of refund, if any, rejected or disallowed for the period of dispute
 - (iii) Amount of fine imposed.
 - (iv) Amount of penalty imposed.
 - (v) Market value of seized goods.
14. (i) Amount of duty or fine or penalty or interest deposited. If so, mention the amount deposited under each head in the box below. (A copy of the challan under which the deposit is made shall be furnished)

Duty	Fine	Penalty	Interest

- (ii) If not, whether any application for dispensing with such deposit has been made?
15. Does the order appealed against also involve any central excise duty demand, and related fine or penalty, so far as the appellant is concerned?
16. Does the order appealed against also involve any service tax demand, and related penalty, so far as the appellant is concerned?
17. Subject matter of dispute in order of priority (please choose two items from the list below, under the head 'IMPORT' or 'EXPORT' or 'GENERAL' , depending upon the nature of the case)

IMPORT		EXPORT		GENERAL	
(i).Classification – Chapter (ii).Valuation – GVC /SVB or Others. (iii).Application of Exemption Notification No., (iv). Anti-dumping duty. (v). Safeguard duty, (vi). Project imports, vii). Baggage viii). Courier, ix).Imports under Export Promotion Scheme, x). Seizure cases xi). Refunds, xii).NTR (Non Tariff Restrictions like import license, Phyto Sanitary requirements etc.), xiii). Others.		(i) Classification-Srl. Nos. of Export Schedule, (ii) Valuation, (iii) Drawback, (iv) Export under any Export Promotion Scheme (other than drawback), (v) Non-Tariff restrictions, (vi) Others		(i).Custom House Agents Licensing Regulations, 2004, (ii).MOT Charges, (iii).Others	
Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 2	Priority 1	Priority 2

18. Central Excise Assessee Code, if registered with Central Excise.

19. Service Tax Assessee Code, if registered with Service Tax.

20. If the appeal is against an Order-in-Appeal of Commissioner (Appeals), the number of Orders-in-Original covered by the said Order-in-Appeal.

21. Whether the respondent has also filed appeal against the order against which this appeal is made?

22. If answer to serial number 21 above is 'yes', furnish the details of appeal.

23. Whether the appellant wishes to be heard in person?

24. Reliefs claimed in appeal.

Statement of facts

Grounds of appeal

Signature of the authorised
representative, if any.

Signature of the appellant

Verification

I..... the appellant, do hereby declare that what is stated
above is true and to the best of my information and belief.

Verified today the day of 20

Signature of the authorised
appellant representative, if any

Signature of the appellant

Notes:- (1) The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the
appellant in accordance with rule 3 of the Customs (Appeals) Rules, 1982.

(2) The appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall
be filed in quadruplicate accompanied by an equal number of copies of the order
(one of which at least shall be a certified copy) appealed against.

(3) The appeal shall be in English (or Hindi) and should set forth, concisely and
under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and
such grounds should be numbered consecutively.

(4) The appeal shall be accompanied by such fee as prescribed under sub-section (6)
of section 129A of the Act and shall to be paid through a crossed bank draft drawn in
favour of the Assistant Registrar of the Bench of the Tribunal on a branch of any
nationalized bank located at the place where the Bench is situated.

- - - - -

* Location Codes of all customs stations from where imports/ exports have taken
place in respect of the appellant to be furnished. Location Codes for all the sea ports,
airports, ICD's, Land Customs stations etc, are available on the website
www.icegate.gov.in [ICEGATE website – downloads-ICEGATE guidelines – Code
List- Location Code List]

** Importer- Exporter Code assigned by the Directorate General of Foreign Trade, to
be mandatorily furnished

*** To be furnished by non- registered persons. Unique Identification (UID) number
to be furnished where Permanent Account Number (PAN) is not available.

[नियम 6(1) देखें]

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में।

.....अपीलकर्ता।

.....प्रतिवादी।

पैन या यूआईडी***

फैक्स नंबर

3. आदेश की संख्या और दिनांक जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

		-						-				-					-			-		
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

4. उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचित करने की तिथि।
5. राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और आयुक्तालय जिसमें मूल्यांकन, जुर्माना, जुर्माना का आदेश या निर्णय किया गया था।
6. यदि जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, वह एक से अधिक कमिशनरियों से संबंधित है, तो सभी कमिशनरियों के नामों का उल्लेख करें, जहां तक यह अपीलकर्ता से संबंधित है।
7. उस मामले में जहां आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ अपील की गई है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पदनाम और पता।
8. पता जिस पर अपीलकर्ता को नोटिस भेजे जा सकते हैं।
9. पता जिस पर प्रतिवादी को नोटिस भेजे जा सकते हैं।
10. क्या उस निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की गई है जिसमें मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क की दर या माल के मूल्य के संबंध में कोई प्रश्न शामिल है।
11. माल का विवरण और वर्गीकरण।
12. विवाद की अवधि।
13. (i) विवाद की अवधि के लिए मांग की गई सीमा शुल्क की राशि, यदि कोई हो।
 (ii) जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उस आदेश की तिथि तक शामिल ब्याज की राशि।
 (ii) विवाद की अवधि के लिए अस्वीकृत या नामंजूर धनवापसी की राशि, यदि कोई हो,
 (iii) लगाए गए जुर्माने की राशि ।
 (iv) लगाए गए दंड की राशि।
 (v) जब्त माल का बाजार मूल्य।
14. (i) शुल्क या जुर्माना या दंड या जमा ब्याज की राशि। यदि हां, तो नीचे दिए गए बॉक्स में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत जमा की गई राशि का उल्लेख करें। (चालान की एक प्रति जिसके तहत जमा किया गया है, प्रस्तुत किया जाएगा)।

शुल्क	फाइन/जुर्माना	पेनल्टी/दंड	ब्याज

- (ii) यदि नहीं, तो क्या ऐसी जमा राशि को समाप्त करने के लिए कोई आवेदन किया गया है।

15. जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, क्या जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसमें कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग, और संबंधित जुर्माना या दंड भी शामिल है?

16. जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, क्या जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसमें कोई सेवा कर मांग और संबंधित दंड भी शामिल है?

17. प्राथमिकता के क्रम में विवाद का विषय (कृपया मामले की प्रकृति के आधार पर, नीचे दी गई सूची में से दो मदों को 'आयात' या 'निर्यात' या 'सामान्य' शीर्षक के तहत चुनें)।

आयात		निर्यात		सामान्य	
वर्गीकरण - अध्याय, ii) मूल्यांकन - जीवीसी / एसवीबी या अन्य। iii) छूट अधिसूचना संख्या का आवेदन, iv) डंपिंग रोधी शुल्क। v) सुरक्षा कर्तव्य, vi) परियोजना आयात, vii) सामान/बैगिज viii) कूरियर, ix) निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत आयात, x) जब्ती के मामले xi) धनवापसी, xii) एनटीआर (गैर टैरिफ प्रतिबंध जैसे आयात लाइसेंस, फाइटो सैनिटरी आवश्यकताएं आदि), xiii) अन्य।		i) वर्गीकरण- निर्यात अनुसूची की एसआरएल संख्या, ii) मूल्यांकन, iii) प्रतिअदायगी, iv) किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत निर्यात (प्रतिअदायगी के अलावा), v) गैर-टैरिफ प्रतिबंध, vi) अन्य		i) कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, ii) एमओटी प्रभार, iii) अन्य	
वरीयता 1	वरीयता 2	वरीयता 1	वरीयता 2	वरीयता 1	वरीयता 2

18. केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती कोड, यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत है।

19. सेवा कर निर्धारिती कोड, यदि सेवा कर के साथ पंजीकृत है।

20. यदि अपील आयुक्त (अपील) के आदेश-इन-अपील के विरुद्ध है, तो उक्त आदेश-अपील द्वारा कवर किए गए मूल आदेशों की संख्या।
21. क्या प्रतिवादी ने उस आदेश के खिलाफ भी अपील दायर की है जिसके खिलाफ यह अपील की गई है?
22. यदि उपरोक्त क्रमांक 21 का उत्तर 'हाँ' है, तो अपील का विवरण प्रस्तुत करें।
23. क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना चाहता है?
24. अपील में दावा की गई राहते।

तथ्यों का विवरण

अपील के आधार

अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, यदि कोई हो।

अपीलकर्ता के
हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज सत्यापित किया गया, का दिन..... 20...

अधिकृत अपीलकर्ता प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर, यदि कोई हों

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ:- (1) अपीलकर्ता द्वारा अपील के आधार और सत्यापन का आवेदन पत्र सीमा शुल्क (अपील) नियम, 1982 के नियम 3 के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) तथ्यों के बयान और अपील के आधार सहित अपील चौगुनी प्रतियों में दायर की जाएगी, जिसके साथ उन आदेश की, जिसके खिलाफ अपील की गई, समान संख्या में प्रतियाँ (जिनमें से एक कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) भी लगाई जाएगी।

(3) अपील अंग्रेजी (या हिंदी) में होनी चाहिए और बिना किसी तर्क या कथन के, संक्षिप्त रूप से और अलग-अलग शीर्षों के तहत अपील के आधारों को निर्धारित किया जाना चाहिए और ऐसे आधारों को लगातार क्रमांकित किया जाना चाहिए।

(4) अपील के साथ अधिनियम की धारा 129ए की उप-धारा (6) के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान किसी भी स्थान पर, जहां राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा एवं बैंच स्थित हो, ट्रिब्यूनल की बैंच के सहायक रजिस्ट्रार के पक्ष में तैयार किए गए एक क्रॉस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

* सभी सीमा शुल्क स्टेशनों के स्थान कोड जहां से अपीलकर्ता के संबंध में आयात/निर्यात हुआ है, प्रस्तुत किया जाना है। सभी समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आईसीडी, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों आदि के लिए स्थान कोड वेबसाइट www.icegate.gov.in पर उपलब्ध हैं [आईसीईजीएटीई वेबसाइट - डाउनलोड-आईसीगेट दिशानिर्देश - कोड सूची- स्थान कोड सूची]।

** विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्दिष्ट आयातक-निर्यातक कोड, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

*** गैर-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) उपलब्ध नहीं है वहां विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए।
